राजस्थान कर बोर्ड अजमेर

अपील संख्या – 1039/2013/हनुमानगढ़

मैसर्स नवदुर्गा इण्डस्ट्रीज, संगरिया, हनुमानगढ़ .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन
श्रीगंगानगर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.06.2016

निर्णय

1. यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 101/2012–13 में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें उनके द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा धारा 25, 18, 55, 58 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.03.2012 में आरोपित रिवर्स टैक्स रूपये 16,63,872/– व आरोपित ब्याज रूपये 4,99,800/– की पुष्टि करने को चुनौती दी गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर रॉ कॉटन से जिनिंग प्रेसिंग की जाकर रुई, बिनौला तथा बिनौला तेल एवं खल का निर्माण किया जाता है। इन उत्पादों रुई, बिनौला तेल एवं खल बिनौला का व्यवहारी राज्य एवं अन्तर्राज्यीय विक्रय करता है। अपीलार्थी व्यवहारी ने निर्माण में प्रयुक्त रॉ–काटन की स्थानीय खरीद पर शत–प्रतिशत इनपुट क्रेडिट क्लेम किया है। निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा निर्मित बिनौला खल के कर मुक्त होने के कारण आनुपातिक आधार पर खरीदे गए कच्चे माल पर चुकाए गए कर के संबंध में अपीलार्थी द्वारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है उसे रिवर्स कर दिया, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए रिवर्स टैक्स रुपये 16,63,872.00/– एवं ब्याज रुपये 4,99,800.00/– को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गयी। जिसका निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22.03.2013 द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2013 की पालना में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 10.01.2014 को पारित कर दिया है। अतः यह अपील सारहीन होने के कारण निरस्तनीय योग्य है।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि का समर्थन करते हुए बतलाया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश के अनुक्रम में कर निर्धारण पारित कर दिया गया है। अतः यह अपील सारहीन होने के कारण निरस्तनीय योग्य है।

6. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान निम्न दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये है जिनका गहनता से अध्ययन किया गया।

(i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
(ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8
(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर दोनों विद्वान अभिभाषकों ने बिना गुणावगुणों पर विचार किये ही प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई है ।

7. रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरणों का निष्पादन दिनांक 10.01.2014 को कर दिया गया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, का संक्षिप्त सारांश निम्नप्रकार है :–**

> "In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order. However it is made clear that the final order dated 30-11-2007 passed in pursuance of remand order dated 21-09-2007 was not under challenge in the appeal

8. उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.) से भी मेल खाते है। राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णय तथा उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में दिनांक **10.01.2014** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है ।

परिणामतः अपील "सारहीन" होने के कारण खारिज की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

03/06/2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य

3.6.2016
(मदन लाल)
सदस्य